

प्रेषक,
रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।
समाज कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2024

विषय:- ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पहचान प्रमाण-पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में अपील हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-254/स०क०/टी०एस०यू०/2024-25, दिनांक 12 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-CG-GL-E-29092020-222096, दिनांक 25.09.2020 के नियम-9 के अन्तर्गत ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पहचान प्रमाण-पत्र, आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में ट्रांसजेण्डर व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नामित अपीलीय अधिकारी को अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

3- उक्त के संदर्भ में मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाता है।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव
Date: 14-08-2024 16:55:2

संख्या- 968 (1)/26-2-2024 तदिनांक।

प्रतिलिपि-समस्त मण्डलायुक्तों को उक्त के संदर्भ में अनुपालन हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(सुभाष राम)
अनु सचिव।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

संख्या- /स०क०/टी०एस०यू०-13/2024-25, लखनऊ, दिनांक अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्य वाही हे प्रेषित:-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
- 2- समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश
- स्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक।